महिला सशक्तिकरण एवं अधिकार

कृषि कुंभ (अगस्त, 2023),
खण्ड 03 भाग 03, पृष्ठ संख्या 104–106

महिला सशक्तिकरण एवं अधिकार

प्राची शुक्ला[1] ,सुमन प्रसाद मौर्य[2] ,सरिता श्रीवास्तव[3]
[1]सहायक प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष[2] ,सहायक प्रोफेसर[3]
मानव विकास और परिवार अध्ययन विभाग,
सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ.प्र.), भारत।

Email Id: shukladrprachi@gmail.com

महिला सशक्तिकरण, भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है की इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं तथा परिवार व समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता:

भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दें तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण निम्नलिखित हैं–

- आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर है फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें समान स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है।
- भारत में महिलाएं शिक्षा प्राप्त के मामले में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। पुरुषों की शिक्षा 81.3 % है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 64.6 % ही है ।
- भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों की महिलाओं से पीछे हैं। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएं मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं।
- भारत की लगभग 50 % आबादी केवल महिलाओं की है देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए हमारी आधी आबादी अर्थात महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है।
- भारत में महिला सशक्तिकरण का एक मुख्य कारण भुगतान में आज समानता भी है। एक अध्ययन के अनुसार समान अनुभव व योग्यता के बाद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20 % कम भुगतान दिया जाता है।
- भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए मां, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परंपरा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता।

भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं :

भारत में बहुत सारी पुरानी मान्यताएं और परंपराएं ऐसी है जो महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा

उत्पन्न करती है। उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं–

- पुरानी व रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती।
- रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित होने के कारण स्वयं महिलाएं खुद को पुरुषों से कम समझने लगती है।
- कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। निजी क्षेत्रों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
- 'महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएं हैं।
- भारत में महिला शिक्षा दर 64.6 % है काफी सारी ग्रामीण लड़कियां जो स्कूल जाती भी है, उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी पास नहीं कर पाती है।
- समान कार्य को समान समय तक करने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है। असंगठित क्षेत्रों में यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर है, खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले क्षेत्र इस विरोधाभास से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
- महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसा, दहेज, ऑनर किलिंग, रेप और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं।
- महिलाओं की सुरक्षा भी महिला सशक्तिकरण की एक बाधा है। कामकाजी महिलाएं देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने कार्यस्थल पर कार्य नहीं कर पाती तथा सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग नहीं करती है। महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- 2018 की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों का बाल विवाह होता है। कम उम्र में शादी होने की परंपरा के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए दिए गए अधिकारः

समान वेतन का अधिकार– समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

कार्य स्थल में यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार– यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिला को कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का पूरा हक है । केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन के वेतन के साथ अवकाश देने का प्रावधान है ।

कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार - भारत में हर बच्चे को जन्म लेने का अधिकार है एक कन्या को उसके मूल अधिकार "जीने का अधिकार" का अनुभव करने देना चाहिए । लिंग चयन पर रोक अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

संपत्ति पर अधिकार– हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अंतर्गत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर अधिकार वर्तमान समय में पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति में बच्चों के साथ विधवा का नाम भी अंकित किया जाता है।

गरिमा एवं शालीनता का अधिकार– किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी